न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम) अलवर (राजस्थान)

प्रार्थना पत्र संख्या	प्रवेश तिथि	निर्णय दिनांक
14/01/2014	10–11–2014	19–09–2019

01– राजेन्द्र कौर पत्नी श्री मंगत सिंह जाति ब्राहमण सिख निवासी ग्राम अलावड़ा तहसील रामगढ़ जिला अलवर राज0।

–अपीलांट

बनाम

01– तहसीलदार रामगढ़ जिला अलवर।
02– राजेन्द्र कथित पुत्र गिरवर जाति माली वास्तविक पुत्र दुल्ली
03– कैलाशी कथित पत्नी गिरवर जाति माली वास्तविक पत्नी दुल्ली
04– अनारो कथित पुत्री गिरवर जाति माली,
05– चमेली कथित पुत्री गिरवर जाति माली निवासीयान ग्राम अलावड़ा तहसील रामगढ़ जिला अलवर राज0।

–रैस्पोडेन्ट्स

अपील विरूद्ध आदेश सनद् पट्टा सं. 6371 दिनाक 19.10.2011 वाके ग्राम मांदला कलां तहसीलदार रामगढ़।

उपस्थितः–
01–श्री अमरसिंह यादव –वकील अपीलांट

–निर्णयः–

अपीलान्ट ने यह अपील तहसीलदार रामगढ़ के आदेश दिनांक 19.10.2011 जिसके द्वारा पट्टा सं0 6371 वाके ग्राम मांदला कलां तहसील रामगढ़ को बैजा तौर रैस्पो0 सं0 2 लगा0 5 को जारी किया गया, से व्यथित होकर पेश की है। अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पौ0 को जरिये नोटिस तलब किया गया एवं तहत अदालत का रिकॉर्ड तलब किया गया। वकील अपीलान्ट के अधिवक्ता की बहस सुनी गई।

विद्वान वकील अपीलांट ने अपनी बहस में प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि तहसीलदार रामगढ के आदेश दि0 19.10.2011 द्वारा जिसके द्वारा हाल आराजी खसरा नम्बर 652, 656 रकबा 0.49 है0 ग्राम मांदला कलां तह0 रामगढ़ का सनद् पट्टा रैस्पो0 सं0 2 लगा0 5 को मृतक गिरवर का वारिस मानते हुए जारी किया गया है। जिसके बाबत सर्वप्रथम जानकारी दिनांक 22.11.2011 को हुई। दि0 23.11.2011 को रैस्पो0 सं0 2 व 3 विरूद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट थाना रामगढ में दर्ज करायी गयी। जिसके बाद दि0 19.12.2011 को नकल मिलने पर उक्त अपील अंदर मियाद पेश की गई। जानकारी के अभाव में होने वाली देरी के लिए धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रा0पत्र पेश किया गया है। आराजी खसरा नम्बर 652 व 658 जिनके साबिक ख0नं0 528, 529, 533 थे। जो आराजी गिरवर पुत्र ग्यासी माली की गै0खातेदारी की आराजी थी। जिसका स्वर्गवास सन 1975 में हो गया। उसकी पत्नी मनसूखी उसके जीवन काल में ही फौत हो गयी तथा उसका एक पुत्र मंगल था जिसकी मृत्यु भी सन 1981 में हो गयी। मंगल की पत्नी कैलाशी जीवित थी। कैलाशी ने अपने आप को मंगल की बेवा होना जाहिर करते हुए उपरोक्त आराजी को जरिये इकरारनामा दि0 12.07.1982 को विक्रय करने का अपीलांट के –

अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम)
अलवर (राज०)

P.T.O.

पति श्री मंगत सिंह पुत्र बालक सिंह निवासी ग्राम अलावड़ा तहसील रामगढ के हक में कर दिया और उसी दिन एक मुख्तयारनामा भी अपीलांट के पति मंगत सिंह के हक में कर दिया। जिसे उप–पंजीयक रामगढ के यहां पंजीयन भी करा दिया। उक्त इकरारनामे के तहत कैलाशी ने उपरोक्त आराजी का कब्जा भी मंगत सिंह को दे दिया। यह तय पाया कि जब उपरोक्त आराजी का पट्टा प्राप्त हो जायेगा तो मैं विक्रय पत्र करा दुंगी। अपीलांटा के पति मंगत सिंह का स्वर्गवास हो गया। मंगत सिंह के स्वर्गवास के बाद उक्त आराजी पर मिन अपीलांटा का कब्जा चला आ रहा है। कैलाशी ने दुलीचंद पुत्र जलसिंह के साथ घरवासा कर लिया और दुलीचंद के नुत्फे से कैलाशी के गर्भ से एक पुत्र राजेन्द्र माह सितम्बर 1986 व पुत्री चमेली व अनारो पैदा हुई। जिनका गिरवर की आराजी से कोई लेना–देना नहीं है। किन्तु राजेन्द्र व कैलाशी ने अपने आप को गिरवर का पुत्र व पति बताते हुए तहसील रामगढ के कर्मचारियों से मिल्लत कर उक्त फर्जी पट्टा प्राप्त कर लिया। उक्त पट्टा जारी करने से पूर्व ना कोई जांच कराई गई और ना ही गिरवर का मृत्यु प्रमाण–पत्र प्राप्त किया गया ना ही गिरवर के वारिसान की जांच की गई। महज कानूनगो रिपोर्ट के आधार पर पट्टा जारी कर दिया गया। कानूनगो की रिपोर्ट से यह साबित नहीं पाया जाता है कि किस प्रकार से कैलाशी को मृतक गिरवर की पत्नी व राजेन्द्र तथा दोनों पुत्रीयों को गिरवर की पुत्र व पुत्रीयां मानते हुए रिपोर्ट की गई है। विशेष तथ्य यह है कि कैलाशी ने सनद् पट्टा प्राप्त करने हेतु जिस चालान के जरिये बैंक में पैसा जमा कराया, उसमें उसने स्वयं को मंगल की पत्नी होना जाहिर किया गया। इससे स्पष्ट है कि कैलाशी ना तो मृतक गिरवर की पत्नी है, ना ही राजेन्द्र उसका लड़का है। पेश निर्वाचन नामावली से भी यह तथ्य साबित पाया जाता है कि कैलाशी ने अपने पति मंगल के स्वर्गवास होने बाद दुलीचंद के साथ घरवासा कर लिया और निर्वाचन नामावली में कैलाशी का नाम दुलीचंद की पत्नी के रूप में व राजेन्द्र का नाम दुलीचंद के पुत्र के रूप में दर्ज है। उक्त पट्टे के संबंध में जो फौजदारी मुकदमा थाना रामगढ में दर्ज किया गया था, उसमें कैलाशी व राजेन्द्र वगै0 को गिरफ्तार किया गया एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट रामगढ ने दि0 24.11.2012 को कमलंचद पुत्र भगवान दास पूर्व सरपंच, बिजेन्द्र, रमेश व अमरसिंह को दोषी मानते हुए जमानती वारंट से तलब किया गया। जिस आदेश के खिलाफ एक निगरानी अपर सेशन न्यायालय नं0 2 अलवर में पेश की गई थी, जो निगरानी दि. 27.01.2014 को खारिज फरमाते हुए कमलंचद पुत्र भगवान दास पूर्व सरपंच, बिजेन्द्र, रमेश व अमरसिंह को भी दोषी माना है। इस संबंध में भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो अलवर द्वितीय द्वारा भी जांच की गई। जिस में यह माना कि मोहनलाल पटवारी हल्का मांदला कलां तहसील रामगढ, सुरेन्द्र सिंह तत्कालीन गिरदावर हाल नायब तहसीलदार खण्डेला जिला सीकर, प्यारेलाल प्रजापत तत्कालीन वरिष्ठ लिपिक रामगढ हाल वरिष्ठ लिपिक न्यायालय सहायक कलक्टर अलवर तथा मसूद खां पुत्र श्री आसमौहम्मद जाति मेव निवासी रामगढ के खिलाफ भारतीय दण्ड संहिता के तहत जुर्म कारित करते हुए प्रथम सूचना रिपोर्ट सं. 198 दि0 05.06.2014 को दर्ज कराई। कैलाशी वगै0 ने उपरोक्त आराजी का पट्टा प्राप्त करने के कुछ समय बाद उपरोक्त आराजी को मुकेश कुमार पटवा पुत्र फतहलाल पटवा निवासी गंगरार तहसील गंगरार जिला चित्तोड़गढ़ को 1/3 हिस्से का बेचान जरिये पंजीकृत बयनामा दि0 18.11.2011 को कद दिया। जबकि वास्तव में उपरोक्त आराजी का कब्जा ना तो क्रेता को किया गया, ना कभी क्रेता का कब्जा रहा। उक्त विक्रय पत्र पर मसूद खां पुत्र आसमौहम्मद ने अपनी गवाही भी दी है। जिस आसमौहम्मद को भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो ने मुलजिम भी माना है। इस प्रकार स्पष्ट है कि इन सभी लोगों ने मिलकर अपने आप को गलत तौर पर गिरवर को वारिस होना जाहिर करते हुए उपरोक्त आराजी का सनद् पट्टा प्राप्त किया। राजेन्द्र ने कहीं अपने आप को राजेन्द्र, कहीं राजू होना बताया है व कहीं अपने हस्ताक्षर किये है तथा कहीं अंगूठा निशानी किये है। उसने कहीं अपने पिता का नाम गिरवर व कहीं मंगल बताया गया है। जबकि वास्तव में राजेन्द्र के पिता का नाम दुलीचंद सैनी है। जो तथ्य निर्वाचन नामावली से भी साबित होना पाया—

अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम)
अलवर (राज0)

P.T.O.

जाता है। इसी प्रकार कैलाशी जो दुलीचंद की घरवासा पत्नी है, ने कहीं अपने आप को मंगल की बेवा होना और कहीं गिरवर की बेवा होना बताया गया है। उक्त अपील में रैस्पो0 2 लगा0 5 की ओर से उनके अभिभाषक महोद्य ने दि0 10.11.2014 को उनकी ओर से नो–इन्सट्रक्शन भी प्लीड किया है। जिससे यह स्पष्ट है कि इस अपील में रेस्पो0 का कोई हित व आधार तथा दिलचस्पी नहीं है। पत्रावली पर राजेन्द्र पुत्र दुलीचंद का टी. सी. प्रमाण–पत्र पेश किया हुआ है। जिसमें उसके पिता का नाम दुलीचंद दर्ज है और राजेन्द्र की जन्म तिथि 10.09.1986 है तथा उसने सन 1993 में स्कूल में प्रवेश लिया था। जबकि गिरवर सैनी का स्वर्गवास सन 1975 में व मंगल पुत्र गिरवर सैनी का स्वर्गवास सन 1981 में ही हो गया था। इन हालात में राजेन्द्र किसी भी प्रकार से गिरवर का पुत्र होना संभव नहीं है बल्कि वह दुलीचंद का पुत्र है। अतः अपील अपीलांटा स्वीकार फरमायी जाकर अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार रामगढ का आदेश दि0 19.10.2011 जिसके द्वारा पट्टा सं0 6371 रैस्पो0 सं0 2 लगा0 5 को जारी किया गया है, को निरस्त फरमाया जावें।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं बहस पर मनन किया। पत्रावली में संलगन इकरारनामा एवं मुख्तयारआम दि0 12.07.1982 में रैस्पो0 कैलाशी के पति का नाम मंगल अंकित किया गया है। जबकि पंचायत मतदाता सूची 2009 में कैलाशी के पति नाम दुल्ली अंकित किया हुआ है। विधानसभा निर्वाचन नामावली 2008 में कैलाशी के पति नाम दुल्ली अंकित है। रामगढ विधानसभा क्षेत्र भाग सं0 72 में वर्ष 1971 की निर्वाचन नामावली में मंगल के पिता का नाम गिरवर अंकित है। अतः स्पष्ट है कि कैलाशी का पति व राजेन्द्र तथा अनारो व चमेली का पिता गिरवर नहीं था तथा पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि उक्त विवादित आराजी का इकरारनामा मंगत सिंह पुत्र बालक सिंह को दि0 12.07.1982 को कर दिया था। उक्त प्रकरण के संबंध में माननीय सिविल न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट, प्रथम वर्ग, रामगढ़ जिला अलवर द्वारा दिनांक 22.02.2012 में भी रैस्पो0 को दोषी माना गया है तथा प्रकरण भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो अलवर में भी विचाराधीन है। अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रथमदृष्टया अपील अपीलांट न्यायहित में स्वीकार योग्य होने से स्वीकार की जाती है। तहसीलदार रामगढ़ का आदेश पट्टा सं. 6371 दि0 19.10.2011 को निरस्त किया जाता है। निर्णय की प्रति तहसीलदार रामगढ़ को उनके रिकॉर्ड के साथ नियमानुसार पालनार्थ भिजवायी जावें। इस न्यायालय की पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तामील तकमील लेख भण्डार हो।

निर्णय आज दिनांक 19.09.2019 को अद्योहस्ताक्षरकर्ता द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

COURT OF THE ADDITIONAL COLLECTOR (I) न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम) अलवर (राज0) ALWAR (RAJ.)

19/09/19

अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम)
अलवर (राजस्थान)